"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 15] रायपुर, सोमवार, दिनांक 20 जनवरी 2003—पौष 30, शक 1924

खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 जनवरी 2003

अधिसूचना

क्रमांक 7-3/2003/12.—खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का सं. 67) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियां को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 1996 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. अनुसूची तीन में,—

(एक) अनुसूची 5 का कालम (2) तथा (3) में उल्लेखित उसके प्रयोजनों सहित, लोप किया जाए.

(दो) अनुक्रमांक 6, 7 तथा 8 के स्थान पर क्रमशः 5, 6 तथा 7 स्थापित किया जाए.

2. यह तारीख 26-1-2003 से प्रवृत्त होगा.

Raipur, the 16th January 2003

NOTIFICATION

No. 7-3/2003/12.—In exercise of the powers conferred by Section 15 of Mines & Minerals (Development & Regulation) Act, 1957 (No. 67 of 1957) the State Government hereby makes the following amendments in Chhattisgarh Minor Mineral Rules, 1996 namely :—

AMENDMENT

In the said Rules,—

1. In Schedule III,—

(i) S. No. 5 shall be omitted with its purposes mentioned in column (2) & (3).

(ii) For S. No. 6, 7 & 8, the S. No. 5, 6 & 7 shall be substituted respectively.

2. It shall come in to force from the date of 26-1-2003.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. चक्रवर्ती, प्रमुख सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2003.